



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन

शोध छात्र - अर्जुन कुमार (मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास विभाग) लखनऊ विश्वविद्यालय

शोध पर्यवेक्षक - प्रोफेसर हेमंत पाल प्राचार्य वाई. डी पी.जी कॉलेज, लखीमपुर खीरी (उ. प्र.)

ऐतिहासिक रूप से भारत में किसान आंदोलन तीन चरणों में हुए हैं। इस आंदोलन का पहला चरण (1857-1921) है। इस चरण में नियमित नेतृत्व के अभाव में बहुत से किसान आंदोलन हुए। दूसरा चरण (1923-1946) तक रहा। इस चरण में बुद्धिजीवी लोग और कृषक संगठन शामिल थे।

इस चरण में कृषकों की समस्याओं को ध्यान में रखकर भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य को भी शामिल किया गया। इसका तीसरा चरण स्वतंत्रता के बाद हुआ, इस काल में कृषक आंदोलन होने के पीछे मुख्य कारण यह था कि जो सत्ताधारी पार्टी थी वो कृषकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में असफल रही। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य उन समस्याओं को उजागर करना जो औपनिवेशिक भारत कृषक आंदोलन के लिए जिम्मेवार थे।

ब्रिटिश सरकार की भू-राजस्व नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय कृषि पद्धति पर गंभीर रूप से पड़ा। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर इजारेदारी व्यवस्था लागू की। इस प्रथा में भू-राजस्व वसूली का कार्य सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ठेके पर दिया जाता था। 1773 ई. कॉर्नवॉलिस ने जॉन शोर की मदद से स्थायी बंदोबस्त जारी किया।

इसके कारण किसानों पर दबाव बढ़ा और उनका शोषण हुआ। इस तरह से इस व्यवस्था के बाद रैय्यतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो, कप्तान रीड और एल्फि स्टन द्वारा 1820 में लागू किया गया। इस व्यवस्था में किसान भू स्वामी होते थे और उन्हें उपज का 33 प्रतिशत से 55 प्रतिशत कर अदा करना होता था। रैय्यतवाड़ी लगान दर ऊंची होने के कारण किसान महाजनो के चंगुल में फंस गया। इस कारण किसान और महाजनो में बाद में डेक्कन किसान आंदोलन संघर्ष की स्थिति बनी, इस व्यवस्था को बाद में परिवर्तन कर महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया जिसमें लगान

की दर लगभग 66 प्रतिशत थी जिससे किसानों की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। इन सारे कारणों की किसानों को अहसास हुआ कि उनकी बिगड़ी हुई स्थिति के लिए औपनिवेशिक राज्य ही जिम्मेदार है। और इस तरह से किसानों का असंतोष पूरे देश में एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में उभरा। आगे हम देखते हैं कि देश के कोने कोने में किसान आंदोलन होते हैं और उनका स्वरूप कैसा था और उसका प्रभाव क्या पड़ा और इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसमें क्या भूमिका रहती है?

प्रथम चरण के किसान आंदोलन

नील आंदोलन

बंगाल में नील उगाने वाले कृषको ने यूरोपीय अधिकारियों के अत्याचार से तंग आकर सितम्बर 1859ई. में विद्रोह क्र दिया। नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में 1859ई. में दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास रफीक मंडल के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेत बंद कर दी। इस पर 1860 में एक नील आयोग की नियुक्ति होती है जिसमें W S SETON KARR की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय नील आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में एक मात्र भारतीय सदस्य चंद्रमोहन चटर्जी थे जो भारतीय जमींदारों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अन्य दो प्रतिनिधि Rev.J.Sale थे। आयोग के सामने तत्कालीन मजिस्ट्रेट E. W.L.Tower ने भी गवाही दी। नील आयोग ने यह सुझाव दिया कि किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाए।

आंदोलन को ईसाई मिशनरियों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। हिन्दू पेट्रियट, नील दर्पण, द बंगाली और सोम प्रकाश समाचार पत्र ने किसानों के हितों का समर्थन किया। नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था नील विद्रोह के सफल होने का प्रमुख कारण हिन्दू एवं मुस्लिम किसानों में एकजुटता और अनुशासन की भावना थी, अंत में नील उगने वाले भूपतियों की हार हुई और वे बिहार तथा उत्तर प्रदेश चले गए।

पबना किसान विद्रोह (1873-76)

बंगाल के पबना जिले के युसूफशाही परगने में 1873ई में एक किसान संघ की स्थापना हुई। पबना के किसानों ने बड़े हुए लगान और जमीन्दारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। किसान ब्रिटिश शासन के विरोधी नहीं थे। किसान तो अपने सुधार के लिए इंग्लैंड की रानी का किसान बनना चाहते थे। इस आंदोलन के नेताओं ने कहा - "हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैख्यत होना चाहते हैं"। अमृत बाजार पत्रिका ने पबना आंदोलन का विरुद्ध किया क्योंकि यह अखबार जमींदारों का प्रतिनिधित्व करता था। पबना के अलावा यह विद्रोह ढाका, मेमन सिंह, बिदुरा और राजशाही में फैल गया। कैम्पबेल ने पबना विद्रोह का समर्थन किया। पबना विद्रोह सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा उदाहरण था। इसमें हिन्दू मुस्लिम साथ मिलकर लड़े। पबना विद्रोह का प्रमुख नेता ईशानचन्द्र राय, शम्भू पाल, और खोदी मल्लाह थे। S N बनर्जी, आनंद मोहन बोस द्वारका गांगुली आदि ने किसानों की रक्षा हेतु अभियान चलाया। इस अभियान का इंडियन एसोसिएशन ने समर्थन दिया। पबना विद्रोह की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह कानून के दायरे में हुआ पूर्णतः अहिंसक था। सरकार ने पबना विद्रोह की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया। जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1885ई में बंगाल कास्तकारी अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा किसानों को उनकी जमीनें वापस मिली।

दक्षिण का किसान विद्रोह (1875ई) -

यह विद्रोह मुख्यतः मारवाड़ी व गुजराती साहूकारों के विरुद्ध था जो मराठा कृषको को ऋण देकर उनकी जमीन छीन लेते थे। डेक्कन विद्रोह के उदय का आधार रैख्यतवाड़ी व्यवस्था थी। विद्रोह सिरूर तालुका के करदाह गांव से शुरू हुआ क्योंकि यहां एक मारवाड़ी साहूकार कल्लूराम ने बाबासाहब देशमुख के विरुद्ध कोर्ट से बेदखली का आदेश प्राप्त कर लिया था। पूना सार्वजनिक सभा भी किसानों के समर्थन में तथा 1867 के भू राजस्व अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन चलाए। 1875ई. में पूना और अहमदनगर सहित अनेक जिलों में विद्रोह फैल गया। सरकार ने डेक्कन उपद्रव आयोग नियुक्त किया तथा कृषको की अवस्था सुधारने के लिए 1879ई. में डेक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम द्वारा यह नियम बनाया गया कि ऋण अदा न करने पर किसानों की जमीन नहीं हड़पी जा सकती और उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता।

चम्पारण किसान आन्दोलन -1917ई.

चम्पारण में तिनकठीया प्रणाली प्रचलित थी जिसमें किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। राजकुमार शुक्ल ने गाँधी को चम्पारण आने के लिए प्रेरित किया। गाँधी ने राजेंद्र प्रसाद की सहायता से कृषकों की वास्तविक स्थिति की जांच की। गाँधी जी की गिरफ्तारी होती है फिर एक जांच समिति नियुक्त हुई। जिसमें गाँधी भी एक सदस्य थे। इसने चम्पारण कृषि अधिनियम पारित किया जिसके तहत तिनकठीया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। चम्पारण में गाँधी जी को राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारीख, जे बी कृपलानी, ब्रिज किशोर, अनुग्रह नारायण सिंह आदि लोगों का समर्थन मिला।

खेड़ा सत्याग्रह (1918ई)

1917-18 में सूखे के कारण फसल खराब हो जाने पर भी खेड़ा के कुनबी-पाटीदार किसानों से लगान की वसूली की जा रही थी। सरदार पटेल और इंदुलाल यागनिक ने किसानों को लगान अदा न करने का सुझाव दिया। इस सत्याग्रह के बाद पटेल गाँधी के अनुयायी बन गए। खेड़ा आंदोलन में किसानों ने गीता और कुरान पर हाथ रखकर लगान न देने का कसम खाई। बिठल भाई पटेल, सर्वेंट ऑफ़ इंडिया सोसाइटी और गुजरात सभा ने गाँधी जी की सहायता की। बाद में सरकार अपनी हार मान ली और यह गोपनीय दस्तावेज जारी किया की लगान उन्हीं से लिया जाए जो सक्षम हो।

मोपला विद्रोह- 1921

मोपला मालाबार तट के कृषक थे। मोपलाओं को असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस और खिलाफत आंदोलनकारियों ने संगठित किया। खिलाफत आंदोलन ने भावी समतावादी मुस्लिम राष्ट्र के वायदे किये थे। के महादेवन नायर, गोपाल मेनन याकूब हसन और मुइनुद्दीन कोया आदि कांग्रेसी तथा खिलाफत नेताओं की गिरफ्तारी से अतिवादी धर्मउपदेशकों के लिए रास्ता साफ हो गया। 20 अगस्त 1921 को एर्नाड तालुका के जिला मजिस्ट्रेट थॉमस द्वारा हथियारों, रौंधार्मिक गुरु तथा स्थानीय नेता अली मुशालियार की तलाश में छापामार की घटना विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी। फलतः व्यापक विद्रोह भड़का बाद में यह आंदोलन हिन्दू विरोधी भी हो गया और मंदिरों को थोड़ा जाने लगा। मोपलाओं के हिंसक कारण कांग्रेस ने पहले ही उनसे अपने को अलग कर लिया।

बारदोली किसान सत्याग्रह- 1928

1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुका में गांधीवादी आंदोलन को उल्लेखनीय सहायता मिली जब बॉम्बे की सरकार ने कपास की कीमतों में गिरावट के बाद भी लगान में 22 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की तो बंधू ने लगान अदायगी रोक सत्याग्रह का संयोजन करने के लिए बल्लभ भाई पटेल को आमंत्रित किया। सर्वेंट ऑफ़ इंडिया सोसाइटी ने सरकार से किसानों की माँगों की जांच करवाने का अनुरोध किया। बारदोली किसान आंदोलन के समर्थन में बम्बई विधान परिषद् के भारतीय सदस्यों ने त्याग पत्र दिया। लार्ड इरविन ने बॉम्बे के गवर्नर लेसली विल्सन को शीघ्र ही मामले को निपटने के लिए कहा। सरकार ने ब्रूमफील्ड तथा मैक्सवेल को बारदोली मामले की जांच का आदेश दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाए गए 22 प्रतिशत लगान को घटाकर लगभग 6 प्रतिशत कर दिया गया।

तेलंगाना किसान आंदोलन

1946 से 1951 तक तेलंगाना किसान आंदोलन पहले तेलंगाना के जमींदारों की रें के खिलाफ और बाद में हैदराबाद के निज़ाम एवं उनके रजाकारों के खिलाफ चला। किसानों का नेतृत्व CPI के P. सुंदरैया ने किया। तेलंगाना किसान आंदोलन का तात्कालिक कारण कम्युनिस्ट नेता कमरैया की हत्या कर देना था, इसके अलावा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद किसानों से कम दामों पर अनाज वसूलने से उनमें गुस्सा था। इस आंदोलन में किसानों ने मांग की कि हैदराबाद

रियासत को समाप्त कर उसे भारत का अंग बना दिया जाए। यह आंदोलन 1948 ई. में भारतीय सेना के प्रवेश तक चलता रहा।

तेभागा आंदोलन

यह आंदोलन बटाईदारों किसानों का जोतदारों के विरुद्ध संघर्ष था। बंगाल में 1946 ई. में बंगाल प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा किसान आंदोलन हुआ। इसके तहत किसानों ने उपज का आधा भू-राजस्व देने के स्थान पर उपज का 1/3 देने का फैसला किया तथा 2/3 भाग स्वयं लेने का निर्णय किया। प्लाउड कमीशन की सिफारिशें लागू करने की बात की जो पहले ही उपज का तीसरा भाग लगान लेने की सिफारिश की थी और इसका नेतृत्व कंपराम और भुवन सिंह ने किया था।

किसान सभाओं का गठन

1920 के दशक, पंजाब, उत्तर प्रदेश किसान सभाओं का गठन हुआ। साम्यवादी और अन्य बामपंथी दलों ने किसानों में वर्ग जागरूकता उत्पन्न की और किसान सभाओं के गठन में विशेष भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना फरवरी, 1918 ई. गौरीशंकर मिश्रा, इन्द्र नारायण द्विवेदी ने मदनमोहन मालवीय के समर्थन से की। 1920 ई. बाबा रामचंद्र भी उत्तर प्रदेश किसान सभा से जुड़े। वे मराठी ब्राह्मण थे जो फिजी में भी मजदूर रहकर आए थे। झिंगुरीपाल सिंह और दुर्गापाल सिंह के नेतृत्व में 1919 ई. प्रतापगढ़ के किसानों ने प्रतापगढ़ का हुक्का पानी बंद कर दिया था (नाई-धोबी बंद)। 1920 ई. बाबा रामचंद्र ने जवाहर लाल नेहरू और गौरीशंकर मिश्र से लखनऊ में मुलाकात की और उन्हें अवध किसान आंदोलन से जोड़ा।

बिहार में स्वामी सहजानंद ने 1929 ई. में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इसमें कार्यानंदन शर्मा राहुल सांकृत्यायन पंचानन शर्मा एवं यदुनंदन शर्मा जैसे बामपंथी विचारधारा के नेताओं ने भी सदस्यता ग्रहण की। 1946 ई. में बिहार में बकाशत के विरुद्ध आंदोलन हुआ। बकाशत जमींदार की अपनी विशेष भूमि होती थी। जमींदारों ने अधिकाधिक भूमि को इस वर्ग में लाने की कोशिश की। स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। बिहार में भूमि के तीन प्रकार थे- बकाशत, रैयत और जिस्ती असम में सुरमा घाटी में जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध करूणा सिंधु राय ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। बंगाल में टेनेन्सी एक्ट को लेकर अकरम खां, अब्दु रहीम और फजलुल हक ने 1929 ई. में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। उड़ीसा में मालती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। अकाली कार्यकर्ताओं ने पंजाब किसान समिति की स्थापना की जिनमें बाबा सोहन सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, बाबा रुर सिंह, मास्टर सिंह आदि थे। भगवान सिंह लोंगो लों वालिया पटियाला में किसान आंदोलन चलाया। पंजाब में कृति किसान सभा वामपंथी विचारधारा की थी। स्वामी रामानंद हैदराबाद एवं हामिद खां दक्षिण असम किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना आंध्रप्रदेश के गुंटूर जिले के नांदुबोल में N G रंगा ने की।

अखिल भारतीय किसान सभा :-

11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की लखनऊ में स्थापना की गई। इसका नाम बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद इसके पहले अध्यक्ष और आंध्रप्रदेश के N G रंगा इसके प्रथम महासचिव थे। स्वामी सहजानंद का वास्तविक नाम नवरंग राय था और उन्होंने बिहटा में आश्रम की स्थापना की थी। इसके प्रथम अधिवेशन में जवाहर लाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया शोहन सिंह जोश, इंदुलाल याज्ञनिक आदि नेताओं ने भाग लिया। इंदुलाल याज्ञनिक ने किसान बुलेटिन निकाला। इसने एक घोषणा पत्र भी तैयार किया। इस घोषणा पत्र ने कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में स्वीकार किये गए कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम को काफी प्रभावित किया। इनमें भू-राजस्व की दरों में पच्चास प्रतिशत कटौती, किसानों के लिए भूधृति की सुरक्षा, कृषि मजदूरों को प्रयाप्त वेतन व किसान संगठनों की मान्यता आदि कांग्रेस के 1937 के चुनावी घोषणा पत्र के

वादे किसान सभा द्वारा पारित किसान घोषणा पत्र के परिणाम थे। 1937 ई. में अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी जिससे किसानों को राहत के लिए बहुत से कानून बने।

निष्कर्ष –

औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन न केवल किसानों की समस्याओं की तरफ लोगों का ध्यान खींचा बल्कि तात्कालिक ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्वेक्षाचारिता पर व अंकुश लगाने का काम किया। किसान की लड़ाई सरकार के साथ साथ समाज में जो सामंती व्यवस्था थी उसके खिलाफ भी थी। इस आंदोलन को व्यापक जान आधार तब मिला जब इसमें कांग्रेस के मंत्रियों ने भारत अलग अलग प्रांत में इसका प्रसार किया जैसे महाराष्ट्र, बिहार, उत्तरप्रदेश और आंध्रप्रदेश के नेता आदि शामिल हुए।

सन्दर्भ

१. चंद्र, तारा, हिस्ट्री ऑफ़ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, नई दिल्ली, १९७२.
२. चंद्र, बिपन, राज एंड ग्रोथ ऑफ़ इकनोमिक नॅशनलिस्म इन इंडिया, दिल्ली, १९७४
३. चंद्र बिपन, भारत का स्वतंत्रता संग्राम (१८५७-१९४७) वाइकिंग, नई दिल्ली, १९८८
४. चंद्र, बिपन, नॅशनलिस्म एंड कोलोनिअलिस्म इन मॉडर्न इंडिया, नई दिल्ली, १९७९.
५. चटर्जी, पार्थ, नेशनलिस्ट थॉट एंड द कोलोनियल वर्ल्ड, अ डेरीवेटिव डिस्कर्स, ऑक्सफ़ोर्ड १९८६.
६. अगररियन रिफॉर्म्स, रिपोर्ट ऑफ़ द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, नई दिल्ली १९७६.
७. अहमद, जेड. अ., द अगररियन प्रॉब्लम इन इंडिया, कांग्रेस पोलिटिकल.